3/यो0स0क0-16/2023
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग 13

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -13.04.2026

विषय:- **वितीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (कन्या सुरक्षा योजना) हेतु राज्य योजना (सामान्य + विशेष घटक) मद में कुल रू० 5200.00 लाख (बावन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (कन्या सुरक्षा योजना) संचालित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना (सामान्य + विशेष घटक) मद में कुल रू० 5200.00 लाख (बावन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू.लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (कन्या सुरक्षा योजना)– सामान्य घटक	(51-2235021030111)	0111.31.06	**2000.00**
	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (कन्या सुरक्षा योजना) – विशेष घटक	(51-2235027890109)	0109.31.06	**3200.00**
कुल योग - (बावन करोड़) मात्र				5200.00

2 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (कन्या सुरक्षा योजना) हेतु स्वीकृत राशि में से 2 (दो) प्रतिशत की राशि प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक 03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशो/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स0क0-16/2023 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-17/टि0 पर दिनांक-08.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स0क0-16/2023 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-17/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/4/26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-16/2023 13 पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-16/2023 13 पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-16/2023 13 पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि–विभागीय आई०टी० मैनेजर,को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव।